

बईजलास श्री विकास पंचोली (RAS) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 134/2016 (2016/00404)

दायर तारीख 22/08/2016

अनवान

1. रतन आत्मज भैरु गाडरी
2. मु0 सोनी देवा भैरु गाडरी  
सर्व निवासी सालेरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—वादीगण

बनाम

1. नारायण लाल आत्मज नानु गाडरी
2. लादुलाल आत्मज नानु गाडरी  
सर्व निवासी सालेरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. राजरथान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0गंगापुर जिला भीलवाड़ा

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :- श्री सुनिल कुमार जैन, अधिवक्ता वादीगण  
श्री एम0एस0 चुणडावत, अधिवक्ता प्रतिवादीगण (1, 2)  
पेशेकार सरकार

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 का0 अधिनियम ::

—: निर्णय :-

दिनांक :- 04.09.2020

संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजरथान काशतकारी अधिनियम वाद नियमित सुनवाई दिनांक 24.12.2019 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राग सालेरा पटवार हल्का सालेरा तह0 सहाड़ा स्थित आराजी नं0 931 रकबा 0.60 हे0, 932 रकबा 0.02 हे0 गै0मु0 आराजी चाह , 933 रकबा 0.75 हे0, 942 रकबा 0.02 हे0 गै0मु0 आराजी चाह, 1172 रकबा 0.01 हे0 गै0मु0 खड्डा, 1173 रकबा 0.63 हे0, 1174 रकबा 0.49 हे0, 1175 रकबा 0.58 हे0, 1176 रकबा 0.40 हे0 कुल कित्ता 9 कुल रकबा 3.50 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 183 (जमावंदी संवत् 2071 से 2074) वर्तमान खाता संख्या 188 (जमावंदी संवत् 2075 से 2078) पर स्थित भूमि का विभाजन पक्षकारान की उपस्थिति में प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये जाकर प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सहाड़ा से तलब किया गया। तहसीलदार सहाड़ा ने अपने पत्रांक/पी0डी0/2019/245 दिनांक 07.08.2020 को प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया।

ग्राम सालेरा पटवार हल्का सालेरा तह0 सहाड़ा स्थित आराजी नं0 931 रकबा 0.60 हे0, 932 रकबा 0.02 हे0 गै0मु0 आराजी चाह , 933 रकबा 0.75 हे0, 942 रकबा 0.02 हे0 गै0मु0 आराजी चाह, 1172 रकबा 0.01 हे0 गै0मु0 खड्डा, 1173 रकबा 0.63 हे0, 1174 रकबा 0.49 हे0, 1175 रकबा 0.58 हे0, 1176 रकबा 0.40 हे0 कुल कित्ता 9 कुल रकबा 3.50 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 183 जमावंदी संवत् 2071 से 2074 स्थित का विभाजन चाहने से तहसीलदार द्वारा निम्नानुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिसे अधिवक्ता वादीगण द्वारा स्वीकार है।

सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

1.

अतः वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	1. रतन पुत्र भेरु हिस्सा 1/2 जाति गाडरी 2. सोनी पत्नि स्व0 भेरु हिस्सा 1/2 जाति गाडरी सा0देह खातेदार	सालेरा (खाता संख्या 188)	931	0.60
			1174	0.49
			1175	0.58
			933/1	0.05
	योग		4	1.72
2	1. नारायणलाल पुत्र नानु हिस्सा 1/2 जाति गाडरी राहिन बदस्तुर 2. लादुलाल पुत्र नानु हिस्सा 1/2 जाति गाडरी राहिन बदस्तुर सर्व निवासी सालेरा खातेदार	सालेरा (खाता संख्या 188)	1173	0.63
			1176	0.40
			933/2	0.70
	योग		3	1.73
3	शामलात बदस्तुर खातेदार राहिन बैंक यथावत	सालेरा (खाता संख्या 188)	932	0.02
			942	0.02
			1172	0.01
	योग		3	0.05

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

(निकास पंचोली)  
सहस्यक कलेक्टर पदेन  
उपखण्ड अधिकारी (राज.)  
गंगापूर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 04.09.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(निकास पंचोली)  
सहस्यक कलेक्टर पदेन  
उपखण्ड अधिकारी (राज.)  
गंगापूर जिला भीलवाड़ा 3.

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

वादपत्र संख्या 134/2016 (2016/00404)

दायर तारीख 22/08/2016

अनवान

1. रतन आत्मज भैरु गाडरी
  2. मु० सोनी देवा भैरु गाडरी
- सर्व निवासी सालेरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—वादीगण

बनाम

1. नारायण लाल आत्मज नानु गाडरी
  2. लादुलाल आत्मज नानु गाडरी
- सर्व निवासी सालेरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु०गंगापुर जिला भीलवाड़ा

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :- श्री सुनिल कुमार जैन, अधिवक्ता वादीगण  
श्री एम०एस० चुण्डावत, अधिवक्ता प्रतिवादीगण (1, 2)  
पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक : 04.09.2020

डिक्री दिनांक : 04.09.2020

यह मुकदमा आज वारते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय गंगापुर बहाजरी अधिवक्ता वादीगण श्री सुनिल कुमार जैन, अधिवक्ता प्रतिवादी श्री एम०एस० चुण्डावत (1, 2) व पैरोकार सरकार हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :-

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे०)
1	2	3	4	5
1	3. रतन पुत्र भैरु हिस्सा 1/2 जाति गाडरी 4. सोनी पत्नि स्व० भैरु हिस्सा 1/2 जाति गाडरी सा०देह खातेदार	सालेरा (खाता संख्या 188)	931	0.60
			1174	0.49
			1175	0.58
			933/1	0.05
	योग	4	1.72	
2	3. नारायणलाल पुत्र नानु हिस्सा 1/2 जाति गाडरी राहिन बदस्तुर 4. लादुलाल पुत्र नानु हिस्सा 1/2 जाति गाडरी राहिन बदस्तुर सर्व निवासी सालेरा खातेदार	सालेरा (खाता संख्या 188)	1173	0.63
			1176	0.40
			933/2	0.70
			योग	3
3	शामलात बदस्तुर खातेदार राहिन वैक यथावत	सालेरा (खाता संख्या 188)	932	0.02
			942	0.02
			1172	0.01
			योग	3

अधीक्षक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
गंगापुर जिला भीलवाड़ा जिला

नीज .....Nil.....गुबलिंग ..... Nil .....वावत्  
..... Nil .....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर ..... Nil .....फीस दी  
सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाची तक ..... Nil .....का अदा  
करे।

वशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04.09.2020 को जारी किया  
गया।

(विकास पंचोली)  
सहायक कलक्टर पंचोली  
उपखण्ड अधिकारी  
गंगापूर जिला भीलवाड़ा

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	—		स्टाम्प अरजीदया	—	
स्टाम्प वकीलात नामा	—		स्टाम्प वकीलात नामा	—	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महनताना वकील ( )	—		महनताना वकील ( )	—	
खर्चा गवाह	—		खर्चा गवाह	—	
फीस कमीश्नर	—		फीस कमीश्नर	—	
बावत् इजराय हुक्मनामा	—		बावत् इजराय हुक्मनामा	—	
मुनफरिक	—		मुनफरिक	—	
मीजान			मीजान		



(विकास पंचोली)  
सहायक कलक्टर पंचोली  
उपखण्ड अधिकारी गंगापूर  
गंगापूर जिला भीलवाड़ा